

मानक शर्तें

(वन अनुभाग-3 उ०प्र० शासन की पत्र संख्या 7314/14-3-980/82)

दिनांक 31.12.1984 द्वारा निर्धारित)

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसमें वैधानिक स्तर से कोई परिवर्तन नहीं होगा और यह पूर्व की भौति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु किया जायेगा, अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
3. याचक विभाग, प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाय कि मांगी गई भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैधानिक वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरी विभाग, उसके कर्मचारी, अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाएंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख-रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरित विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथा सम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा को क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग को नर्सरियों/पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग अथवा संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये, वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि (Automatic) स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जायेगा।
11. सड़क के निर्माण के प्रस्तावों पर "एलाइनमेन्ट" तय होते के समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श "सार्वजनिक निर्माण विभाग" द्वारा प्राप्त किया जायेगा, तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, "सार्वजनिक निर्माण विभाग" के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता पर्वतीय क्षेत्र, पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608/सी दिनांक 10.02.82 में निहित आदेशों का पालन भी "सार्वजनिक निर्माण विभाग" द्वारा किया जायेगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पर्वतीय क्षेत्र के सम्बन्ध में यह भी प्रमाण पत्र दिया जायेगा कि अश्व मार्ग बनाना अथवा वन मार्ग का मामूली फेर-बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्चे से पर्याप्त न होगा और सड़क का निर्माण भी आवश्यक है।

अधिसूची अभियन्ता

विद्युत प्रेषण खण्ड

उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०

पथरहिया, मीरजापुर

12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होगा जो याचक विभाग को मान्य होगा ।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन निगम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा । यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उनका पातन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा ।
14. हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाये, का भुगतान वन विभाग को करना होगा । 1000 मीटर एवं 30° से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निषिद्ध है । इसी प्रकार बाज (ओक) के पेड़ों का पातन भी वर्जित है । ऐसे वृक्षों के पातन का निर्णय वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा ।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथा सम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा तथा खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा । यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी । जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है ।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-क्षरण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पटरियों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक अपने व्यय से स्वयं करायेगा ।
17. उपरिलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार द्वारा अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगायी जाती है तो वे याचक विभाग को मान्य होगी ।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय जब उक्त शर्तों का पूरा-पूरा पालन कर लिया जाय अथवा समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय ।
मैं प्रमाणित करता हूँ कि मुझसे/मेरे विभाग से सम्बन्धित उपरोक्त सभी मानक शर्तों से मैं सहमत हूँ तथा उपरोक्त शर्तों का अनुपालन करते हुये प्रतिहस्ताक्षरित करता हूँ ।

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रमाणित प्रजाधिकारी
मीरजापुर वन प्रमाण
मीरजापुर

अधिशाली अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड
उ०प्र० पा० ट्रा० का० लि० •
मीरजापुर
अधिशाली अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड
उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०
पथरहिया, मीरजापुर